निदेशालय, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, उ0प्र0 लखनऊ

पत्रांक :C-1227 /बा0वि0परि0/पो0एवंस्वा0/2021–22 दिनांक 17 जनवरी, 2022

समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारी/
प्रभारी जिला कार्यक्रम अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

विषय : आंगनबाड़ी केन्द्रों की आवश्यक सेवाओं के सम्बन्ध में।

कृपया निदेशालय पत्र संख्या सी–1174 दिनांक 06 जनवरी, 2022 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा कोविड–19 संक्रमण के दृष्टिगत आंगनबाड़ी केन्द्र बन्द होने की स्थिति में आंगनवाड़ी कार्यकत्रियों द्वारा अनुपूरक पुष्टाहार का वितरण "डोर टू डोर" किये जाने के सम्बन्ध में दिशा–निर्देश निर्गत किये गए हैं। चूंकि नवजात शिशु, अतिकुपोषित बच्चे, सैम/मैम तथा गर्भवती महिलाओं में आपदा के समय संक्रमण से प्रभावित होने की सम्भावना अधिक होती है, अतएव कोविड–19 संक्रमण के दृष्टिगत आंगनबाड़ी केन्द्र बन्द होने की स्थिति में आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों द्वारा नवजात शिशु, अतिकुपोषित बच्चे, सैम/मैम तथा गर्भवती महिलाओं के घरों का गृह भ्रमण कार्ययोजना तैयार कर किया जाना आवश्यक है। गृह भ्रमण हेतु दिशा–निर्देश तैयार कर पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है। गृह भ्रमण के दौरान कोविड प्रोटोकाल का पालन अनिवार्य रूप से किया जायेगा तथा मास्क का प्रयोग व सोशल डिस्टेंसिंग अनिवार्य है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि कोविड–19 प्रोटोकाल का पालन कराते हुए गृह भ्रमण हेतु संलग्न दिशा–निर्देशों का अनुपालन कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नक–यथोक्त।

(डा0 सारिका मोहन)
निदेशक।

पृष्ठांकन संख्या : /तद्दिनांक।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव, बाल विकास एवं पुष्टाहार, उत्तर प्रदेश शासन।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3. मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, लखनऊ।
4. निदेशक, राज्य पोषण मिशन, लखनऊ ।
5. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
6. अधिशासी निदेशक, यू0पी0टी0एस0यू0
7. पोषण विशेषज्ञ, यूनिसेफ।

(डा0 सारिका मोहन)
निदेशक।

निदेशालय, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, उ0प्र0 लखनऊ

पत्रांक : /बा0वि0परि0/पो0एवंस्वा0/2021–22 दिनांक 17 जनवरी, 2022

समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारी/
प्रभारी जिला कार्यक्रम अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

विषय : आंगनबाड़ी केन्द्रों की आवश्यक सेवाओं के सम्बन्ध में।

कृपया निदेशालय पत्र संख्या सी–1174 दिनांक 06 जनवरी, 2022 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा कोविड–19 संक्रमण के दृष्टिगत आंगनबाड़ी केन्द्र बन्द होने की स्थिति में आंगनवाड़ी कार्यकत्रियों द्वारा अनुपूरक पुष्टाहार का वितरण "डोर टू डोर" किये जाने के सम्बन्ध में दिशा–निर्देश निर्गत किये गए हैं। चूंकि नवजात शिशु, अतिकुपोषित बच्चे, सैम/मैम तथा गर्भवती महिलाओं में आपदा के समय संक्रमण से प्रभावित होने की सम्भावना अधिक होती है, अतएव कोविड–19 संक्रमण के दृष्टिगत आंगनबाड़ी केन्द्र बन्द होने की स्थिति में आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों द्वारा नवजात शिशु, अतिकुपोषित बच्चे, सैम/मैम तथा गर्भवती महिलाओं के घरों का गृह भ्रमण कार्ययोजना तैयार कर किया जाना आवश्यक है। गृह भ्रमण हेतु दिशा–निर्देश तैयार कर पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है। गृह भ्रमण के दौरान कोविड प्रोटोकाल का पालन अनिवार्य रूप से किया जायेगा तथा मास्क का प्रयोग व सोशल डिस्टेंसिंग अनिवार्य है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि कोविड–19 प्रोटोकाल का पालन कराते हुए गृह भ्रमण हेतु संलग्न दिशा–निर्देशों का अनुपालन कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नक–यथोक्त।

(डा0 सारिका मोहन)
निदेशक।

पृष्ठांकन संख्या : C-1227 **/तद्दिनांक।**

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव, बाल विकास एवं पुष्टाहार, उत्तर प्रदेश शासन।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3. मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, लखनऊ।
4. निदेशक, राज्य पोषण मिशन, लखनऊ ।
5. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
6. अधिशासी निदेशक, यू0पी0टी0एस0यू0
7. पोषण विशेषज्ञ, यूनिसेफ।

(डा0 सारिका मोहन)
निदेशक।

गृह भ्रमण के मुख्य लाभार्थी वर्ग व आंगनबाड़ी के माध्यम से दी जाने वाली सेवायें

कोविड/ओमिक्रान सम्बन्धी आवश्यक संदेश

- परिवारों से सम्पर्क के समय सही से मास्क पहनने के तरीके (नाक व मुंह दोनो कवर हों) का संदेश दें, जिससे कि संक्रमण से बचाव हो सके।
- घर से बाहर निकलते समय अथवा दूसरो से सम्पर्क के दौरान मास्क पहनना अनिवार्य है।
- हाथों को साबुन अथवा सैनिटाइजर से समय–समय पर साफ करते रहें।
- गर्भवती, धात्री महिलाओं अथवा बच्चों में या फिर परिवार के अन्य सदस्यों में कोविड/ओमिक्रान के लक्षण दिखने पर तुरन्त स्वास्थ्य विभाग को जानकारी दें।

गृह भ्रमण के दौरान आंगनबाड़ी कार्यकत्री द्वारा दी जाने वाली सेवायें

- अनुपूरक पोषाहार
- परामर्श सेवायें
- वृद्धि निगरानी
- आयरन गोलियों का वितरण
- संदर्भन

लाभार्थी जिनके यहां प्राथमिकता के आधार पर गृह भ्रमण किया जाना है

- नवजात शिशु
- चिन्हित अतिकुपोषित बच्चे, सैम/मैम बच्चे
- पहले त्रैमास की गर्भवती महिलायें, धात्री महिलायें
- बच्चे जिन्होंने वर्तमान माह में 6 माह पूर्ण कर लिया हो

गृह भ्रमण का तरीका

- सुने – पहले लाभार्थी से जिसे व्यवहार को प्रोत्साहन देना हैश उसको उन्हीं के शब्दों में सुने (Assess)
- समझें– स्थिति का आंकलन करें (Analyse)
- सलाह दे– आंकलन करने के पश्चात आवश्यकतानुसार सलाह दें (Act)

गृह भ्रमण के मुख्य लाभार्थी वर्ग व आंगनबाड़ी के माध्यम से दी जाने वाली सेवायें

	लाभार्थी वर्ग	मुख्य सेवायें	आंगनबाडी कार्यकत्रियों के लिये कार्य बिन्दु
1	नवजात शिशु	• गृह आधारित देखभाल • स्तनपान प्रोत्साहन	• शिशु के लिए स्तनपान (माँ का दूध) पोषण का सबसे अच्छा व मुख्य स्रोत है। माँ के दूध में कोविड वायरस मौजूद होने के साक्ष्य नहीं के बराबर हैं, इसलिए स्तनपान को कोविड/ओमिक्रान की स्थिति में भी जारी रखना है। • यदि मां को खॉसी, बुखार या अन्य कोविड के लक्षण हैं तो स्वास्थ्य विभाग के अनुसार वह मास्क लगाते हुये तथा अन्य कोविड/ओमिक्रान के नियमों का पालन करते हुये स्तनपान करा सकती है।

			• यदि वह स्तनपान कराने में सक्षम नहीं है तो कटोरी चम्मच से दूध निकालते हुये उसे पिला सकती है।
2	चिन्हित अतिकुपोषित बच्चे, सैम/मैम बच्चे	• वृद्धि निगरानी • गृह आधारित देखभाल • आवश्यकतानुसार संदर्भन • अनुपूरक पोषाहार का समुचित प्रयोंग एवं पौष्टिक व्यंजन बनाने के विधि को दर्शाना। इस हेतु पूर्व में प्रेषित रेसिपी बुकलेट, वीडियो का प्रयोग करें	कुपोषण के कारण रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी आती है, जिससे शरीर को बीमारियां/संक्रमण घेर लेते हैं। बीमारी छोटे बच्चों के वृद्वि व मानसिक विकास को प्रभावित करती है इसलिये इनसे बचाव करना अत्यन्त आवश्यक है। आंगनबाड़ी कार्यकत्रियां कुपोषित बच्चों के घर प्राथमिकता पर भ्रमण करेगी तथा निम्न सेवायें उपलब्ध करायेगी– • वृद्धि निगरानी • अनुपूरक पोषाहार • परामर्श सेवायें • संदर्भन सेवायें चिन्हित कुपोषित बच्चों के पोषण स्तर की आंगनबाड़ी कार्यकत्री निगरानी करेगी तथा प्रत्येक माह अनिवार्य रूप से बच्चे के घर जाकर उसका वजन करेगी तथा उसे पोषण ट्रैकर/रजिस्टर /एम0सी0पी कार्ड पर अंकित करेगी। यदि उसकी वृद्धि रेखा में निरन्तर गिरावट आ रही है अथवा कुपोषण के स्तर में सुधार नहीं आ रहा, तो वह उसके स्वास्थ्य परीक्षण हेतु स्वास्थ्य विभाग को संदर्भित करेगी तथा ग्राम स्तर पर आयोजित होने वाले ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता पोषण दिवस पर ए0एन0एम से स्वास्थ्य जांच करायेगी। बच्चों की उचित देखभाल हेतु निम्नानुसार परामर्श देगी– • आंगनबाड़ी केन्द्र द्वारा उपलब्ध कराये जा रहे अनुपूरक पोषाहार की समुचित मात्रा तथा उससे बनने वाली रेसिपी के बारे में जानकारी देगी तथा नियमित रूप से अनुपूरक पोषाहार के प्रयोग के संबंध में परामर्श देगी। • छः माह से कम आयु के कुपोषित बच्चों को केवल मां के दूध दिये जाने पर बल देगी, जिससे कि संक्रमण से बचाव किया जा सके। • ऊपर का दूध, पानी नही देंने तथा दूध की बोतल, चुसनी का प्रयोग बिलकुल ना करने की सलाह देगी। • छः माह से ऊपर बच्चे के खाने में अनाज, दाले, दूध, हरी व अन्य सब्जियां व फल जहां तक संभव हो अवश्य शामिल करने को कहेगी। मसला हुआ ताजा भोजन अलग थाली/कटोरी में खिलानें तथा खाने में थोडा सा घी/तेल मिलाने से स्वाद व उर्जा के महत्व को बतायेगी। • परिवार को कुपोषित बच्चे की भूख तथा पोषण स्तर पर नजर रखने को कहेगी।

			• साफ, ताजा घर में बना हुआ भोजन दिन में 3–4 बार खिलायें। बच्चे की पसंद का खाना खिलायें। यदि बच्चा दिया गया खाना आराम से खा लेता है, चिडचिडा नहीं है और खेल–खूद रहा है तो परिवार के प्रयास सार्थक दिशा में हैं। • साफ पानी, साफ कटोरी, साफ थाली, साफ हाथ का प्रयोग करने के महत्व से परिवार को अवगत करायेगी। यदि बच्चा लम्बे समय से चिडचिड़ा है, खाना या फिर मां का दूध नहीं पी रहा तो तुरंत डॉक्टर को दिखायें। आवश्यकता पड़ने पर पोषण पुर्नवास केन्द्रों पर भर्ती करें।
3	पहले त्रैमास की गर्भवती महिलायें, धात्री महिलायें	• गर्भावस्था में शीघ्र पंजीकरण • गर्भावस्था व धात्री अवस्था के दौरान देखभाल व खान–पान संबंधी परामर्श • अनुपूरक पोषाहार का समुचित प्रयोंग एवं पौष्टिक व्यंजन बनाने की विधि को दर्शाना	कोविड के दौरान गर्भवती महिलाओं व धात्री महिलाओ को विशेष देखभाल की आवश्यकता है। यदि इनमे कोई भी कोविड/ओमिक्रान के लक्षण मिलते हैं, तो तुरंत जांच कराते हुये चिकित्सीय परामर्श ले। आंगनबाड़ी कार्यकत्री पहले त्रैमास की गर्भवती महिलाओं व कुछ धात्री महिलाओ के घर गृह भ्रमण करेगी तथा निम्नानुसार परामर्श देगी– • गर्भवती महिलओं द्वारा ग्राम स्वास्थ्य पोषण दिवस पर शीघ्र पंजीकरण कराना, ए0एन0एम द्वारा एम0सीपी0 कार्ड बनवाना व मासिक वजन कराना। धात्री महिलाये द्वारा शिशु का जन्म पंजीकरण व टीकाकरण पूर्ण करवाना। • प्राप्त आयरन व कैल्शियम की गोलियां ग्रहण करें। (गर्भावस्था व धात्री महिला को कम से कम 180 आयरन की गोलियां, 360 कैल्शियम की गोलियां ग्रहण की जानी हैं)। • प्राप्त होने वाले अनुपूरक पोषाहार का नियमित सेवन करें तथा उससे बनने वाली पौष्टिक रेसिपी के बारे में जानकारी देगी– वीडियोज व रेसिपी बुकलेट के माध्यम से। नियमित रूप से अनुपूरक पोषाहार के प्रयोग के संबंध में परामर्श देगी। • धात्री व गर्भवती महिला को अतिरिक्त उर्जा की आवश्यकता होती है। अतिरिक्त आहार के साथ–साथ भोजन में गाढ़ी हरे पत्तेदार सब्जियां, नींबू, संतरा, गाजर, ज्वार ,बाजरा, रागी, दूध आदि को जोड़ने से शरीर की प्रतिरक्षण क्षमता बढ़ती है। • यदि गर्भवस्था के दौरान किसी प्रकार की समस्या महसूस होती है तो तुरंत आशा/आंगनबाड़ी से संपर्क करते हुये निकट के उपकेन्द्र अथवा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर अपने आपको दिखायें।
4	बच्चे जिन्होंने	• खान–पान संबंधी परामर्श	**छः माह पूर्ण करने वाले बच्चों के घर कार्यकर्त्री भ्रमण कर सही समय से उपरी आहार की शुरूआत तथा उसकी**

	वर्तमान माह में 6 माह पूर्ण कर लिया हो	• अनुपूरक पोषाहार का समुचित प्रयोंग एवं पौष्टिक व्यंजन बनाने के विधि को दर्शाना	**महत्ता से संबंधी निम्नानुसार परामर्श देगी–** • एक–दो चम्मच से शुरूआत करते हुये आहार की मात्रा, गाढापन और बारम्बारता धीरे–धीरे बढ़ायें। प्रतिदिन बच्चे को कम से कम चार खाद्य समूह से बना भोजन खिलाये। स्तनपान जारी रखें। • अलग कटोरी चम्मच का उपयोग करें, ताकि आप जान सके कि बच्चा कितना खा रहा है। • बच्चे को उसकी आयु के अनुसार खाना दें। खाना खिलाने में जबरदस्ती न करें। • प्राप्त होने वाले अनुपूरक पोषाहार का नियमित सेवन करें तथा उससे बनने वाली पौष्टिक रेसिपी के बारे में जानकारी देगी– वीडियोज व रेसिपी बुकलेट के माध्यम से। निसमित रूप से अनुपूरक पोषाहार के प्रयोग के संबंध में परामर्श देगी। • भोजन में तेल/घी डाल कर उसकी पौष्टिकता को बढ़ायें। • एक बार में एक ही तरह का भोजन दें। भोजन का प्रकार व मात्रा धीरे–धीरे बढ़ायें। खाने से पूर्व व खाने के बाद हाथ को अच्छी तरह से साबुन से धो लें। खाना बनाने के स्थान व बर्तन की साफ–सफाई का विशेष रूप से ध्यान रखें।